

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकरी गिर्वा, उदयपुर

प्रार्थी:- सोहनी बाई

विपक्षी:- माधु

किस्म मुकदमा:- प्रा.पत्र

पत्रावली संख्या:- 65/18

दिनाक:-13.11.2019

पत्रावली पे"1 हुई बकुलाय पक्षकार उपस्थित प्रकरण का मूल वाद 48/18 वाद स्वीकार किये जाने से अब इस पत्रावली में कोई कार्यवाही शेष नही रहती है।

अतः इस पत्रावली को इसी स्टेज पर फैसल किया जाता है निर्णय सरेइजलास सूनाया गया।

प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(डॉ.सौम्या झा)
उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा- उदयपुर

